भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1439
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

वर्चुअल न्यायालयों में मामलों का निपटान

1439. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :
श्री भोला सिंह :
श्री जी. सेल्वम :
श्रीमती मंजुलता मंडल :
श्री सी. एन. अन्नादुरई :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्री गौतम गंभीर :
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
डॉ. जयंत कुमार राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कार्यरत वर्चुअल न्यायालयों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा फाइल किए गए/निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्चुअल न्यायालयों के सुचारू कार्यकरण के लिए वर्तमान अवसंरचना पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अदालतें मामलों के सुरक्षित प्रसारण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करते हुए वर्चुअल न्यायालयों की ओर बढ़ रही है और न्यायालयों तथा वकीलों के पास उन तक पहुंचने के विकल्प विद्यमान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उनके कार्यकरण के संबंध में कोई प्रशिक्षण/जागरूकता अभियान आयोजित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यातायात चालान के अलावा अन्य मामलों का निपटान करने के लिए 24/7 वर्चुअल अदालतें शुरू करने के लिए अनुसंधान और अध्ययन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(च) क्या न्यायिक समय की बचत के लिए अधिवक्ताओं और वादकारियों की भौतिक उपस्थिति को कम करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : वर्चुअल न्यायालयों के लिए सॉफ्टवेयर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ई-कोर्ट डिवीजन, पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों (3,26,14,617) को निपटाया गया है और 39 लाख से अधिक (39,16,405) मामलों में, तारीख 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये से अधिक ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है। भारत भर में वर्चुअल न्यायालयों के माध्यम से निपटाए गए मामलों का विवरण उपाबंध- I पर दिया गया है । तारीख 30.06.2023 तक, 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे दिल्ली (2), हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 22 ऐसे न्यायालय हैं।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने वर्चुअल न्यायालयों के लिए प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें लगभग 5,13,080 हितधारकों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच में से मास्टर, उच्च न्यायालयों और अधिवक्ताओं के तकनीकी कर्मचारी प्रशिक्षक, सम्मिलित हैं।

(ड.) : जी हाँ। भारतीय न्याय वितरण प्रणाली के भाग के रूप में वर्चुअल न्यायालयों के विस्तार की गुंजाइश तलाशने के लिए "न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन योजना" के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(च) : वर्चुअल न्यायालयों की पहल ने यातायात उल्लंघन के मामलों को वर्चुअल मंच पर निपटाने में सक्षम बना दिया है, जिससे न्यायालय में वादी या वकील की उपस्थिति समाप्त हो गई है। इन न्यायालयों ने वादकारियों को अपना जुर्माना भरने या दावों का 24X7 लड़ने हेतु सक्षम बनाया है, इस प्रकार न्यायालय प्रणाली और वादकारियों, दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत हुई है। वर्चुअल न्यायालय, न्यायालय में अपराधी/उल्लंघनकर्ता की भौतिक उपस्थिति को भी समाप्त कर देती हैं। इससे यातायात चालान पर निर्णय देने में न्यायिक कार्य करने वाले न्यायाधीशों की संख्या भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक यातायात चालान स्वचालित रूप से निर्णय के लिए वर्चुअल न्यायालय में फाइल किए जाते हैं। एक न्यायाधीश राज्य के किसी भी भाग से या कहीं से भी वर्चुअल न्यायालय एप्लिकेशन का उपयोग कर सकता है, मामलों को देख सकता है और ऑनलाइन मामलों का फैसला कर सकता है।

न्यायिक समय बचाने के लिए अधिवक्ताओं और वादियों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रोजेक्ट के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (चिह्नित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादी 23.34 करोड़ से अधिक

मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (03.07.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है। वर्तमान में, सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है। यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे। हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए),) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त , वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30 जून 2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30 जून 2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई , जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं। 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, तथा इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है।

viii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है। ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। 30.06.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय

होते हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है। 30.06.2022 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है।

x. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है। इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा।

xi. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है।

xii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है।

xiii. बेंच द्वारा खोज, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरंभ किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

उपाबंध 1

देश भर में वर्चुअल न्यायालय माध्यम से निपटाए गए मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1439, जिसका उत्तर 28/07/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण निम्न प्रकार है :

वर्चुअल न्यायालय के आंकड़े -30.06.2023						
क्र.सं.	**स्थापन का नाम**	**प्राप्त**	**की गई कार्यवाही**	**लड़े गए**	**संदत्त चालान**	**चालान की रकम**
1	असम यातायात विभाग	72415	72413	357	19022	13159081
2	छत्तीसगढ़ यातायात विभाग	101	87	0	37	81500
3	गुजरात यातायात विभाग	126716	74647	82	2718	171300
4	हरियाणा यातायात विभाग	821765	681342	1080	16992	12638701
5	हिमाचल प्रदेश यातायात विभाग	81631	57247	86	1954	4011753
6	जम्मू यातायात विभाग	157590	136152	880	38613	21420590
7	कर्नाटक यातायात विभाग	47857	47824	119	40576	338437490
8	कश्मीर यातायात विभाग	356434	356433	9300	75231	41025995
9	केरल (पुलिस विभाग)	635792	625069	1280	54717	28393893
10	केरल परिवहन विभाग	485190	476054	2971	79969	115151882
11	मध्य प्रदेश यातायात विभाग	46581	36028	57	1853	1315300
12	महाराष्ट्र परिवहन विभाग	40387	24349	20	1449	2348605
13	मेघालय यातायात विभाग	437	314	0	33	20000
14	सूचना शाखा दिल्ली यातायात विभाग	14133187	13712402	77223	1344606	954951505
15	ओडिशा यातायात सीटीसी-बीबीएसआर कमिश्नरेट	333416	307908	627	20615	19894001
16	पुणे यातायात विभाग	6080	6056	18	591	114250
17	राजस्थान यातायात विभाग	26497	23650	892	9708	6276170
18	तमिलनाडु यातायात विभाग	162337	143042	1333	78188	718829890
19	त्रिपुरा यातायात विभाग	354	353	1	4	2900
20	उत्तर प्रदेश यातायात विभाग	10238520	7569945	28769	501614	298422756
21	वर्चुअल न्यायालय दिल्ली (यातायात)	4773216	4734431	105500	1624555	1618662492
22	पश्चिमी बंगाल यातायात विभाग	67940	64293	76	3360	2039452
योग		**32614443**	**29150039**	**230671**	**3916405**	**4198908506**

****